न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी–सुनिता चौधरी, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 330/2024

खमुराम पुत्र खीयाराम व अन्य
बनाम
मांगीलाल पुत्र बरसिंगाराम वगैरा

दिनांक 23.03.2026

उक्त अपील राज0 भू राजस्व अधि0 1956 की धारा 75 के तहत उपखण्ड अधिकारी बाप (फलौदी) द्वारा अंतर्गत धारा 111, 128 आरएलआर एक्ट के तहत राजस्व प्रकरण संख्या 184/2023 बअनवान मांगीलाल व अन्य बनाम खमुराम वगैरा में पारित निर्णय दिनांक 19.07.2024 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रत्यर्थी सं0 1 व 2–प्रार्थी–मांगीलाल व सुमेरराम ने प्रार्थना प्रस्तुत कर तहसील घंटियाली स्थित ग्राम लूणा के खातेदारी खसरा नम्बर 303/13, 306/12, 308/16 की उल्लेखित रकबा भूमि की, पैमाईश मौका फर्द दिनांक 16.06.2023 के अनुसार पत्थरगढी करवाने का आग्रह किया गया। जिसे अपीलाधीन आदेश द्वारा स्वीकार किया गया। इससे व्यथित होकर अपीलांट–अप्रार्थी सं0 1 व 8 तथा 11 से 16 एवं 18 ने यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है।

वकील अपीलांट श्री पूनाराम विश्नोई एवं प्रत्यर्थी सं0 1 व 2 के अधिवक्ता श्री नाहरसिंह सोलंकी व प्रत्यर्थी सं0 45 की ओर से राजकीय अधिवक्ता उपस्थित। वकील अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 20.5.25 पर प्रफोर्मा प्रत्यर्थीगण की तामिली से छूट प्रदान की गई।

बहस सुनी गई। दौरान बहस वकील अपीलांट ने अपील मीमों में उल्लेखित तथ्यों को दौहराते हुए मुख्यतः यह निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रत्यर्थी सं0 1 व 2–प्रार्थी ने इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि ग्राम लूणा के ख0नं0 303/13, 306/12, 308/16 स्थित है। उक्त भूमि की पैमाईश हल्का पटवारी द्वारा दिनांक 16.6.23 को की गई, लेकिन पड़ौसी खातेदार खूटे रोपने एवं तारबंदी नही करने दे रहे है। इस कारण माफिक

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

मौका फर्द पत्थरगढी करवाने का आदेश फरमावे। आलौच्य प्रकरण में अपीलांट जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर धारा 151 सीपीसी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, मूल प्रार्थना पत्र का जवाब पेश करना शेष था। इस दरम्यान अधिवक्ताओं की हडताल व न्यायिक कार्यो का बहिष्कार रहा। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हडताल के दिन अपीलार्थीगण को सुनवाई का अवसर दिये बिना प्रकरण में एकतरफा अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरित है। अपीलांट्स ख0नं0 304/13, 305/13, 307/12 व 309/16 के रेकर्डेड खातेदार है। वादग्रस्त खसरान की पैमाईश दोनों पक्षों की उपस्थिति में विधिवत नही हुई है अर्थात एकतरफा तैयार की गई है। आरएलआर एक्ट की धारा 111 में निर्विवादित पैमाईश रिपोर्ट आने पर धारा 128 में पत्थरगढी का आदेश पारित किया जा सकता है। प्रत्यर्थीगण मौके पर जमाबंदी में दर्ज रकबे अनुसार कब्जाकाश्त नही है अर्थात मौके पर भूमि कम है। इस कारण अपीलांट्स के खसरान की भी पैमाईश किया जाना आवश्यक है। प्रत्यर्थी पत्थरगढी की आड़ में अपीलांट्स के खसरान में कब्जा करने की कुचेष्ठा कर रहे है। अतः अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाने का आग्रह किया गया।

प्रत्यर्थी सं0 1 व 2 के योग्य अधिवक्ता ने अपनी बहस में मुख्यतः यह निवेदन किया कि प्रार्थी के वादग्रस्त खसरान की फर्द पैमाईश अनुसार अपीलांट तारबंदी/बाड नही करने दे रहे है। इसलिए प्रार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर फसल सुरक्षा एवं अत्यधिक आर्थिक नुकसान से बचाव हेतु माफिक फर्द पैमाईश दिनांक 16.6.23 पत्थरगढी का आदेश फरमाने हेतु आग्रह किया गया। खातेदार अपनी खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी करवाने का कानूनन अधिकारी है। आलौच्य प्रकरण में अपीलांट्स जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए तथा सिगेदार की रिपोर्ट ली गई। शेष अनुपस्थित अप्रार्थीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई। दिनांक 3.7.24 को उभय पक्ष की धारा 151 सीपीसी के प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई तथा दिनांक 8.7.24 को उक्त प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारिज किया जाकर, पत्रावली मूल प्रार्थना पत्र पर बहस हेतु दिनांक 19.7.24 को रखी गई व बाद बहस अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुतिकरण की दिनांक 24.7.23 से

निर्णय दिनांक 19.7.24 तक की आदेशिकाओं में कही भी अधिवक्तागण की हड़ताल अथवा न्यायिक कार्यो के बहिष्कार का उल्लेख नही है और न ही इस कारण कोई तारीख मुलतवी की गई है। अतः वकील अपीलांट का यह कथन सही नही है कि इस कारण उसे सुनवाई/जवाब प्रस्तुत करने का अवसर नही मिला। अपीलाधीन आदेश उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की उपस्थिति में एवं बाद बहस पारित किया गया है। आदेशिका दिनांक 8.7.24 में स्पष्टतः शेष अप्रार्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नही होने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाने का उल्लेख है। मौका फर्द दिनांक 16.6.23 में मुस्तकिल बिन्दु से मुटाम कायम कर, पैमाईश करने व उपस्थित मौतबिरान के संतुष्ट होने का उल्लेख है, जिसमें अपीलांट–तेजाराम व भागीरथराम के हस्ताक्षर किए हुए है। अतः वकील अपीलांट का यह कथन भी सही नही है कि मौका फर्द एकतरफा बनायी गई है। पक्षकारों के मध्य मूल वाद संख्या 199/2017 में पारित निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 20.10.2022 के विरूद्ध अपीलांट द्वारा न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर में अपील संख्या 13/2023 में पारित निर्णय दिनांक 18.12.2023 द्वारा अपील खारिज की जाकर, मूल वाद के निर्णय एवं अंतिम डिक्री को यथावत रखा गया है। अपीलाधीन आदेश तहसीलदार की रिपोर्ट एवं सरकारी पैरोकार की अनुशंषा पर पारित किया गया है, जिसमें मौका फर्द अनुसार पड़ौसी खातेदारों को सूचित करते हुए वादग्रस्त खसरान की पत्थरगढी करवाने का आदेश पारित किया गया है। अतः अपीलाधीन आदेश विधिसम्मत होने से अपील खारिज फरमाने का आग्रह किया गया।

राजकीय अधिवक्ता द्वारा अपीलाधीन आदेश का समर्थन करते हुए, प्रकट तथ्यों के आधार पर विधिसम्मत निर्णय पारित कराने का आग्रह किया गया।

हमने दोनो पक्षों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी। पत्रावली एवं रेकर्ड पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन व मनन किया। जिसके अनुसार प्रकट है कि अपीलाधीन आदेश फर्द सीमांकन एवं तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर पारित किया गया। वकील अपीलांट का कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अधिवक्तागण की हडताल के दिन अपीलार्थीगण को सुनवाई का अवसर दिये बिना प्रकरण में एकतरफा आदेश पारित कर दिया गया, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरित है। जबकि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुतिकरण की

दिनांक 24.7.23 से निर्णय दिनांक 19.7.24 तक की आदेशिकाओं में कही भी अधिवक्तागण की हड़ताल अथवा न्यायिक कार्यो के बहिष्कार का उल्लेख नही है और न ही इस बिनाय पर कोई तारीख पेशी मुलतवी की गई है। अपील के साथ प्रस्तुत अधिवक्ता संस्थान, बाप जिला जोधपुर के ज्ञापन में दिनांक 19.07.24 को लंच बाद से आधे दिन का तथा दिनांक 20.07.24 को कार्य बहिष्कार की घोषणा का उल्लेख है।

इसी प्रकार आदेशिका दिनांक 8.7.24 में शेष अप्रार्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नही होने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाने का उल्लेख है। इसके अलावा मौका फर्द दिनांक 16.06.23 में अपीलांट–तेजाराम व भागीरथराम के हस्ताक्षर किए हुए है, जिससे वकील अपीलांट का यह कथन भी साबित नही है कि वादग्रस्त खसरान की पैमाईश दोनों पक्षों की उपस्थिति में नही की गई। अतः इस स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना यह न्यायालय न्यायोचित नही समझता है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिणाम स्वरूप अपील अपीलांट सारहीन पायी जाने से तद्नुसार खारिज की जाती है तथा उपखण्ड अधिकारी बाप (फलौदी) द्वारा राजस्व प्रकरण संख्या 184/2023 बअनवान मांगीलाल व अन्य बनाम खमुराम वगैरा में पारित आदेश दिनांक 19.07.2024 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज **दिनांक** 23/3/26 . को खुले न्यायालय लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावे। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड निर्णय की सत्यप्रति के साथ लौटाया जावे।

23/3/26 .
(सुनिता चौधरी)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर